

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

कमांक प.12(16)राज/वाद/08

जयपुर, दिनांक 03/6/22

::आदेश::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.02.22 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष राजस्थान राज्य की ओर से आपराधिक प्रकरणों की पैरवी हेतु राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता-प्रथम व राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता-द्वितीय, जयपुर को कार्य आवंटन किया गया था।


विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23.02.22 की निरन्तरता में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष विचाराधीन/प्रस्तुत होने वाले समस्त पैरोल के प्रकरणों (All parole matters) में राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु श्री घनश्याम सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता-द्वितीय, जयपुर को एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

हो

(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव/विशेषाधिकारी (जीएसवाई), माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
7. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
8. पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान।
9. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस0ओ0जी0, राजस्थान।
10. श्री घनश्याम सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता-द्वितीय, जयपुर।
11. श्री राजेन्द्र यादव, राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता-प्रथम, जयपुर।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
13. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/अधिकरण शाखा, विधि विभाग।
14. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. सहायक लेखाधिकारी, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

  
03/6/22  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि